

केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत परित्यक्त राजस्व : वित्तीय वर्ष 2006-07 और 2007-08**प्रस्तावना**

किसी भी कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों को निधिपोषित करने के लिए राजस्व जुटाना होता है। जुटाए गए राजस्व की राशि बहुत हद तक कर आधारों और कर दरों द्वारा निर्धारित की जाती है। यह विभिन्न उपायों- विशेष कर दरों, छूटों, कटौतियों, रियायतों, आस्थगनों और क्रेडिटों- जो कर के स्तर और वितरण को प्रभावित करते हैं- का भी एक कार्य है। इन उपायों को कभी-कभी "कर तरजीह" भी कहा जाता है। इनका सरकारी राजस्व पर एक प्रभाव होता है (अर्थात् इनकी एक लागत होती है) और ये सरकार के नीतिगत विकल्पों को परिलक्षित करते हैं।

कर तरजीहों को अधिमानी करदाताओं को सब्सिडी भुगतानों के रूप में देखा जा सकता है। इन अन्तर्विष्ट भुगतानों का "कर व्ययों" के रूप में उल्लेख किया जाता है और प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें बजट में व्यय मदों के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, मूल मुद्दा कर नीति का नहीं बल्कि सक्षमता और पारदर्शिता कार्यक्रम आयोजना में यह अपेक्षित है कि नीतिगत उद्देश्यों को सुस्पष्ट रूप से सामने लाया जाए, और बजट निर्माण कार्यक्रम में ऐसे परिव्ययों को उनके सम्बन्धित कार्यक्रम शीर्षों के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता है। कर व्यय कर संविधि में सन्निहित व्यय संबंधी कार्यक्रम हैं।

कर व्यय अथवा राजस्व परित्यक्त विवरण, पहली-बार संसद के समक्ष बजट के दौरान प्राप्ति बजट 2006-07 के अनुबंध-12 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका सभी ने स्वागत किया और इससे राजकोषीय नीति से सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक परिचर्चा सम्भव हुई। इससे कर नीति और कर व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के सरकार के इरादे को भी विश्वसनीयता प्राप्त हुई।

इस विवरण के दूसरे संस्करण को बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के रूप में तथा "परित्यक्त राजस्व का विवरण" नामक एक पृथक बजट प्रलेख के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था।

पिछले दो वर्ष की भांति यह दस्तावेज उन कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करता है जो केन्द्र सरकार की कर प्रणाली का हिस्सा हैं। ऐसे कर प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान कर अधिमानताओं की अधिकांश मदों के सम्बन्ध में किया गया है। यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए है और यह हाल ही के वर्ष का है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। फिर भी, 2006-07 के परित्यक्त राजस्व आंकड़ों अथवा 2007-08 के वास्तविक आंकड़ों (अप्रैल-सितम्बर) के आधार पर वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान राजस्व हानि का अनुमान लगाने के लिए एक प्रयास किया गया है।

कर व्यय के अनुमान निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर किए गए:

- (क) अनुमानों और पूर्वानुमानों का आशय उन संभावित राजस्व प्राप्तियों को दर्शाना है जो छूटों, कटौतियों, भारांशित कटौतियों और इसी प्रकार के उपायों को हटा कर उगाहे गए होते हैं। ये अनुमान अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। वे इस मान्यता पर तैयार किये गए हैं कि इन उपायों को हटाने से अन्तर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। इस सीमा तक, आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार, समग्र आर्थिक क्रियाकलाप और अन्य सरकारी नीतियों में विशिष्ट कर तरजीहों के निरसन के साथ बदलाव आ सकता है और राजस्व फलितार्थ भिन्न हो सकते हैं।
- (ख) प्रत्येक कर रियायत की लागत का निर्धारण, यह मानते हुए कि अन्य सभी कर उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे, पृथक रूप से किया जाता है। तथापि अनेक कर रियायतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। स्पष्ट शब्दों में, कर प्रोत्साहनों का अन्योन्य क्रिया मिश्रित प्रभाव प्रत्येक उपबंध के लिए अनुमानों और पूर्वानुमानों को जोड़ कर परिकलित परित्यक्त राजस्व से भिन्न हो सकता है।

विभिन्न कर प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई धारणाओं और पद्धतियों का उल्लेख इस विवरण के संबंधित भाग में किया गया है।

प्रत्यक्ष कर

आय कर अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तियों द्वारा बचतों को प्रोत्साहित करने; निर्यातों; संतुलित क्षेत्रीय विकास; आधारभूत ढांचा सुविधाओं की स्थापना; रोजगार, धर्मार्थ कार्यों के लिए दान और ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास तथा सहकारी क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है। पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में, त्वरित मूल्यहास की भी व्यवस्था होती है। इन कर लाभों में से अधिकांश का फायदा कम्पनी और गैर-कम्पनी करदाताओं दोनों द्वारा उठाया जा सकता है। इस विवरण में कुछ मुख्य कर व्यय का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है।

क. कारपोरेट सेक्टर

बड़े कारोबार मुख्यतः कम्पनियों के रूप में संगठित हैं। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2006-07 (अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2007-08) के लिए 31 दिसम्बर, 2007 तक 3,28,061 कम्पनियों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत आयकर विवरणियां प्राप्त हुईं। यह वित्त वर्ष 2007-08 में प्रत्याशित कुल आय विवरणियों का लगभग 90% बैठता है। कर व्यय का आंकलन लगाने के प्रयोजन के लिए इन 3,28,061 कम्पनियों से सम्बन्धित आंकड़े आयकर विभाग के डेटाबेस से प्राप्त किए गये।

आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित तथ्य सामने आये:

- सेम्पल कम्पनियों ने करों से पहले 5,56,190 करोड़ रुपये का मुनाफा होने की सूचना दी है (सेम्पल कम्पनियों के लगभग एक तिहाई कम्पनियों द्वारा नुकसान होने की सूचना दी गई) परन्तु वित्त वर्ष 2006-07 (वित्त वर्ष 2007-08 में विवरणियां प्रस्तुत करने के निमित्त)¹ के दौरान 3,41,606 करोड़ रुपये की कुल आय (कर योग्य आय) घोषित की।
- इन सेम्पल कम्पनियों ने उसी वित्त वर्ष के दौरान 1,14,316 करोड़ रुपये की राशि (अधिभार और शिक्षा उपकर सहित) कारपोरेट कर के रूप में अदा की है।
- इन कम्पनियों ने उसी वित्त वर्ष के दौरान अनुषंगी लाभकर के रूप में 4,251 करोड़ रुपये तथा लाभांश वितरण कर के रूप में 9,674 करोड़ रुपये की राशि भी अदा की है।

सारणी 1 में मुनाफा रेंज वाली सेम्पल कम्पनियों की रूपरेखा दी गई है। सम्पूर्ण सेम्पल की प्रभावी कर दर² 20.60 प्रतिशत रही। (2005-06 में 19.26 प्रतिशत से मामूली रूप से अधिक) जो 33.66 प्रतिशत की सांविधिक कर दर से काफी कम थी। 500 करोड़ रुपये और इससे अधिक के मुनाफे वाली कुल 150 कम्पनियों ने करों से पहले कुल मुनाफे के 54.80 प्रतिशत और कुल देय कॉर्पोरेट आयकर के 54.15 प्रतिशत का योगदान किया। तथापि, उनकी प्रभावी कर दर केवल 20.30 प्रतिशत रही जो एक करोड़ रुपये तक के कर-पूर्व मुनाफे वाली सेम्पल कम्पनियों की 25.40 प्रतिशत की प्रभावी कर दर की तुलना में है।

एक करोड़ रुपये तक कर पूर्व मुनाफे वाली कम्पनियों के बारे में कर पूर्व लाभ में कुल आय का अनुपात कुल सेम्पल (61.42 प्रतिशत) के मुकाबले काफी अधिक (72.50 प्रतिशत) है। बड़ी कम्पनियों की तुलना में अपेक्षित छोटी कम्पनियों के मामले में करों से पहले मुनाफों का यह कम अन्तर प्रदर्शित करता है जो बड़ी कम्पनियों को उपलब्ध कराई जा रही उच्च कर रियायतों के कारण है।

सारणी 1: करों से पहले मुनाफों की रेंज वाली कम्पनियों की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2006-07) (सेम्पल आकार-328061)

क्रम सं.	कर-पूर्व मुनाफा	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व मुनाफों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	देय कुल कम्पनी आय कर में हिस्सा (% में)	कर-पूर्व मुनाफों में कुल आय का अनुपात (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	शून्य से कम	103706	0.00	0.33	0.25	-	-
2	शून्य	30690	0.00	4.34	1.75	-	-
3	0-1 करोड़ रुपए	174827	3.31	3.90	4.08	72.50	25.40
4	1-10 करोड़ रुपए	14900	8.02	7.91	8.12	60.57	20.80
5	10-50 करोड़ रुपए	2824	10.64	9.60	10.02	55.40	19.40
6	50-100 करोड़ रुपए	489	6.17	5.44	5.74	54.14	19.10
7	100-500 करोड़ रुपए	475	17.05	14.75	15.89	53.11	19.20
8	500 करोड़ रुपए से अधिक	150	54.80	53.73	54.15	60.22	20.30
9	सभी नमूना कम्पनियां	328061	100.00	100.00	100.00	61.42	20.60

सारणी 1 के आंकड़ें स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि वितरण के मध्य वाली कम्पनियां अर्थात् कर पूर्व 10 और 500 करोड़ रुपए के मुनाफों वाली कम्पनियां सबसे कम कर का भुगतान कर रही हैं। इन कम्पनियों की प्रभावी कर दरें सम्पूर्ण नमूने की तुलना में कम हैं।

सारणी 2 में प्रभावी कर दरों के संदर्भ में नमूना कम्पनियों की रूप रेखा दी गयी है। 20 प्रतिशत से कम की औसत प्रभावी दर वाली कम्पनियों का हिस्सा कर-पूर्व कुल लाभ का 51.42 प्रतिशत बैठता है लेकिन कुल कर योग्य आय का केवल 22.59 प्रतिशत और कुल प्रदत्त कर का 24.38 प्रतिशत बैठता है। दूसरे शब्दों में, बहुत बड़ी संख्या में कम्पनियों (1,76,552) ने अपने लाभ की तुलना में कर के गैर-समानुपातिक रूप में कम राशि का योगदान किया। इसके अतिरिक्त, 1,01,447 कम्पनियों, जिन्होंने कुल लाभ में 16.22 प्रतिशत और कुल कर में 31.65 प्रतिशत का योगदान किया है, की प्रभावी कर दर सांविधिक दर की अपेक्षा अधिक थी। इस प्रकार कम्पनियों के बीच कर देयता असमान रूप से बंटी हुई है। यह असमानता कानून के अन्तर्गत विभिन्न कर अधिमानों के कारण है।

सारणी 2 : नमूना कम्पनियों के प्रभावी कर-दर की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2006-07) (सेम्पल आकार-328061)

क्रम सं.	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभ में हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल आय में हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल देय कर में हिस्सा (प्रतिशत में)
1	शून्य से कम और शून्य	120076	4.35	0.71	0.25
2	0-20	56476	47.07	21.88	24.13
3	20-25	9195	10.81	12.52	12.10
4	25-30	11432	7.88	10.97	10.70
5	30-33.66	29435	13.67	20.93	21.17
6	33.66 से अधिक	70756	16.22	28.64	29.90
7	अनिर्धारित	30691	0.00	4.34	1.75
8	सभी नमूना कम्पनियां	328061	100.00	100.00	100.00

* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

सारणी 3 में सरकारी कम्पनियों की प्रभावी कर दर की तुलना निजी कम्पनियों से की गयी है। हालांकि दोनों श्रेणियों की दर सांविधिक दर के मुकाबले कम है फिर भी यह स्पष्ट है कि सरकारी कम्पनियां निजी कम्पनियों की तुलना में अपने मुनाफे की बहुत बड़ी राशि कर के रूप में देती हैं। इस प्रकार, निजी क्षेत्र में सरकार की बहुत बड़ी राशि कर व्यय के रूप में खर्च करनी पड़ती है।

सारणी 3 : सरकारी और निजी क्षेत्रों में सेम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर* (वित्त वर्ष 2006-07) (सेम्पल आकार-328061)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा(% में)	कुल कर भुगतान योग्य हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	सरकारी	2158	27.25	30.97	23.35
2	निजी	325903	72.75	69.03	19.50
	जोड़	328061	100.00	100.00	20.60

* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

सारणी 4 में सेम्पल कम्पनियों के मामले में विनिर्माण क्षेत्र की तथा सेवा क्षेत्र के मध्य में तुलना दर्शायी गई है। उल्लेखनीय यह है कि हालांकि विनिर्माण क्षेत्र की सेवा क्षेत्र की अपेक्षा अधिक प्रभावी कर दर है और यह अधिक कर का भुगतान कर रहा है परन्तु इन दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर 33.66 प्रतिशत की सांविधिक दर से काफी कम है।

सारणी 4 : विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सेम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर (वित्त वर्ष 2006-07)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा(% में)	कुल कर भुगतान योग्य हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	विनिर्माण	99280	53.27	56.78	21.91
2	सेवा	228781	46.73	43.22	19.01
	जोड़	328061	100.00	100.00	20.60

* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

कम्पनियों की प्रभावी कर दर का उद्योगवार वितरण सारणी 12 के अन्त में दिया गया है। उसके अवलोकन से यह पता चलता है कि अधिकांशतः सभी उद्योगों की प्रभावी कर दर सांविधिक स्तर से कम है परन्तु यह सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा प्रदाताओं और बीपीओ सेवा प्रदाताओं तथा सॉफ्टवेयर विकास एजेंसियों के लिए सबसे कम है जो क्रमशः 7.36 प्रतिशत और 6.38 प्रतिशत है। **इन दोनों उद्योगों का योगदान कुल लाभों का 6.18 प्रतिशत किन्तु कुल करों का केवल 2.08 प्रतिशत है।**

सेम्पल कम्पनियों द्वारा दावा किए गए प्रत्येक कर रियायत पर परित्यक्त कर, प्रत्येक कटौती की राशि पर 33.66 प्रतिशत की कार्पोरेट कर दर का उपयोग करते हुए, परिकलित की जाती है। त्वरित मूल्य ह्रास; वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती; जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की पात्र परियोजनाओं/योजनाओं पर व्यय के लिए कटौती के कारण परित्यक्त राजस्व पहले कम्पनियों को हुए लाभ हानि खातों के नामे डाले गए मूल्य ह्रास/कटौती तथा आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञ मूल्य ह्रास/कटौती के मध्य अन्तर को निर्धारित करते हुए परिकलित की जाती है। इसलिए परित्यक्त राजस्व की राशि के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, 33.66 प्रतिशत की कार्पोरेट कर दर को इस अन्तर के लिए लागू किया गया है।

यद्यपि सभी कंपनियों में से केवल 90 प्रतिशत को नमूना कंपनियों द्वारा शामिल किया गया है, इसलिए इन नमूना कंपनियों के मद में राजस्व परित्याग को कार्पोरेट क्षेत्र में कुल राजस्व परित्याग के रूप में लिया गया है। इस सीमा तक राजस्व परित्याग अल्प अनुपात हो सकता है।

वित्त वर्ष 2006-07 को राजस्व परित्याग संबंधी आंकड़ों के आधार पर, चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2007-08 के दौरान राजस्व परित्याग का अनुमान लगाया गया है। 2006-07 में संग्रहित वास्तविक कर (1,44,318 करोड़ रुपए) की तुलना में वर्ष में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर राजस्व परित्याग के अनुपात की गणना करके और फिर 2007-08 में कार्पोरेट कर संग्रहण के संशोधित अनुमान (1,87,970 करोड़ रुपए) के प्रतिशत के रूप में वर्ष में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर इसी अनुपात को लागू करके 2007-08 के लिए अनुमान तैयार किया गया है। सारणी 5 वित्त वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान राजस्व परित्याग की दृष्टि से कार्पोरेट करदाताओं का प्रमुख कर व्यय दर्शाती है।

सारणी 5: वित्त वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान कार्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय(नमूनाआकार-328061)

क्रम सं.	प्रोत्साहन का नाम	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए) (2006-07)	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए) (2007-08)
1	एसटीपीआई यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	9121	11880
2	ईएचटीपी यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	89	116
3	सेज में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क और 10कक)	553	720
4	ईपीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती धारा 10क)	57	74
5	एफटीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती धारा 10क)	22	29
6	निर्यातान्मुख यूनिटों (इओ.यू.) यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10ख)	3054	3978
7	कलानात्मक मूल्य की वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली यूनिटों के निर्यात लाभों का कटौती (धारा 10खक)	3	4
8	त्वरित मूल्य ह्रास (धारा 32)	7396	9633
9	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भाराशित कटौती (धारा 35(1), (2कक) एवं(2कख)	1554	2024
10	जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर व्यय की कटौती (धारा 35कग)	36	47
11	धर्मार्थ न्यासों और का संस्थाओं को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	1530	1993
12	वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामिण विकास के लिए दान के कारण कटौती (धारा 80छक)	1	1
13	राजनैतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छक)	1	1
14	कतिपय औद्योगिक उपक्रमों अथवा पोत अथवा होटल व्यवसाय के लाभों की कटौती (धारा 80झ)	शून्य	शून्य
15	अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती(धारा 80झक)	1247	1624
16	सेज और औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती(80झक)	132	172
17	दूससंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झक)	5052	6580
18	बिजली के उत्पादन, वितरण और पारेषण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झक)	4613	6008
19	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभों की कटौती (धारा-80झक)	273	356
20	सेज अधिनियम, 2005 के अनुसरण में सेज के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झकख)	139	181
21	लघु क्षेत्र में चल रहे औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	240	313
22	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	136	177
23	जम्मू एवं कश्मीर से भिन्न औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	715	931
24	पिछले जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती(धारा 80झख)	519	676
25	मल्टीप्लेक्स थिएटर और कन्वेंशन सेंटर से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	10	13
26	वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	31	40
27	खनिज तेल के उत्पादन से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	5248	6835
28	आवास परियोजनाओं से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	839	1093
29	कोल्ड चैन फेसिलिटी के प्रचालन से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	5	7
30	खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के समेकित व्यवसाय से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	19	25
31	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण परिरक्षण और पैकेजिंग से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	10	13
32	ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	1	1
33	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झग)	760	990
34	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झग)	9	12
35	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झग)	517	673
36	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झग)	1055	1374

क्रम सं.	प्रोत्साहन का नाम	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए) (2006-07)	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए) (2007-08)
37	जैविक अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यवसाय से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा-80अजक)	7	9
38	नए कामगारों को रोजगारों के संबंध में कटौती (धारा-80अजकक)	20	26
39	अपतटीय बैंकिंग यूनिटों (ओबीयू) और अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आयों के संबंध में कटौती (धारा 80ठक)	20	26
	कुल	45034	58655

जबकि पिछले साल अनुमान लगाया गया था कि 2006-07 के लिए राजस्व परित्याग संबंधी आंकड़े 50,075 करोड़ रुपए होंगे, अब इसके 45,034 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जो 10% कम है। तालिका 6 की एक उल्लेखनीय विशेषता बढ़े हुए मूल्यहास के कारण राजस्व परित्याग में वृद्धि है जो 2005-06 में मात्र 641 करोड़ रुपए था परंतु 2006-07 में बढ़कर 7,396 करोड़ रुपए हो गया है। यह भारी वृद्धि संभवतः वर्ष के दौरान कंपनियों द्वारा अधिक नए निवेश का द्योतक है।

ख. गैर-कारपोरेट (फर्म/ए.ओ.पी/बीओआई) सेक्टर

कार्पोरेट क्षेत्र के अलावा साझेदारी फर्मों, तथा व्यक्तियों के संघ (एओपी) अथवा व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी बढ़े व्यवसाय संचालित किए जाते हैं। इन पर कर व्यय कंपनियों जितना अधिक नहीं है। कर व्यय का अनुमान लगाने के प्रयोजनार्थ, आयकर विभाग के डाटाबेस से 3,32,246 फर्मों/एओपी/बीओआई से संबंधित डाटा चुना गया। 31 दिसम्बर, 2007 तक 3,32,240 फर्मों/एओपी/बीओआई ने अपनी विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की थी। उनको वित्त वर्ष 2006-07 में फर्मों/एओपी/बीओआई की समष्टि द्वारा संदत्त कर तकरीबन 90 प्रतिशत बैठता है।

इस डाटा का विश्लेषण किया गया तथा निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए:

- नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान कर पूर्व लाभ के रूप में 38,363 करोड़ रुपए की सूचना दी (नमूना के तकरीबन एक तिहाई द्वारा हानि की सूचना दी गई) परंतु सिर्फ 27,809 करोड़ रुपए की कुल आय (कराधेय आय) की घोषणा की। (वित्त वर्ष 2007-08 में दर्ज करने के लिए)
- इन नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने इसी वित्त वर्ष के दौरान आयकर के रूप में (अधिभार और शिक्षा उपकर सहित) 8,819 करोड़ रुपए का भुगतान किया। उनके मामले में प्रभावी कर दर 22.99% बनती है।
- इन फर्मों/एओपी/बीओआई ने इसी वित्त वर्ष के दौरान अनुषंगी लाभ कर के रूप में 473 करोड़ रुपए का भी भुगतान किया।

नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावाकृत प्रत्येक कर रियायत पर कर परित्याग की गणना द्वारा कटौती की राशि पर 33.66% की आयकर दर लागू की गई है। पहले लाभ में डेबिट किए गए मूल्यहास/कटौती और फर्मों/एओपी/बीओआई के हानि के खातों एवं आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमत मूल्यहास, / कटौती के बीच अंतर का निर्धारण करके त्वरित मूल्यहास, वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती, तथा जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं/ योजनाओं पर व्यय के लिए कटौती की मद में राजस्व परित्याग की गणना की गई है। इसके पश्चात्, राजस्व परित्याग का आंकड़ा प्राप्त करने हेतु, इस अंतर पर 33.66% की आयकर दर लागू की गई है। तत्पश्चात्, परिव्यक्त राजस्व के आंकड़े निकालने के लिए इस अंतर पर 33.66 प्रतिशत की आयकर दर लागू की गई है।

यद्यपि सकल संदत्त कर की दृष्टि से नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ऐसी कुल संस्थाओं के 90% का ही प्रतिनिधित्व करती है, इन नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई के कारण राजस्व परित्याग को इस क्षेत्र में कुल राजस्व परित्याग के रूप में लिया गया है। इस सीमा तक परिव्यक्त राजस्व कम आंका गया हो सकता है।

वित्त वर्ष 2006-07 के राजस्व परित्याग आंकड़ों के आधार पर, चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2007-08 के दौरान राजस्व परित्याग का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। 2006-07 में फर्मों/एओपी/बीओआई से संग्रहीत वास्तविक कर (9,499 करोड़ रुपए) की तुलना में वर्ष में प्रत्येक कर प्रोत्साहन का कर राजस्व परित्याग के अनुपात की गणना करके और फिर 2007-08 में आयकर संग्रहण के संशोधित अनुमान (12,781 करोड़ रुपए) के इसी अनुपात को लागू करके 2007-08 के लिए अनुमान तैयार किया गया है। सारणी-6 वित्त वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान राजस्व परित्याग की दृष्टि से गैर कार्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय दर्शाती है। जैसा कि देखा जा सकता है, अधिकतम कर व्यय आयकर अधिनियम की धारा 80-झख के अंतर्गत कटौती के कारण है।

सारणी 6: वित्त वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई पर प्रमुख कर व्यय (नमूना आकार-332246)

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए) (2006-07)	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए) (2007-08)
1	एसटीपीआई यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	45	61
2	ईएचटीपी यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	शून्य	शून्य
3	सेज में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क और 10कक)	150	202

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए) (2006-07)	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए) (2007-08)
4	ईपीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	11	15
5	एफटीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	6	8
6	निर्यातान्मुख यूनिटों (ईआ.यू.) के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10ख)	300	404
7	कलात्मक मूल्य की वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली यूनिटों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10खक)	20	27
8	त्वरित मूल्यहास (धारा 32)	434	584
9	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) एवं(2कख)	1	1
10	जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर व्यय की कटौती(धारा 35कग)	8	11
11	पूण्यार्थ न्यासों और संस्थाओं को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	87	117
12	वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दान के कारण कटौती (धारा 80छक)	शून्य	शून्य
13	राजनैतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छकग)	शून्य	शून्य
14	कतिपय औद्योगिक उपक्रमों अथवा जलयान अथवा होटल व्यवसाय के लाभों की कटौती (धारा 80झ)	शून्य	शून्य
15	अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती(धारा 80झक)	66	89
16	सेज और औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती(80झक)	11	15
17	दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झक)	2	3
18	बिजली के उत्पादन और पारेषण वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80छ)	2	3
19	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभों की कटौती (धारा-80झक)	शून्य	शून्य
20	सेज अधिनियम, 2005 के अनुसरण में सेज के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झकख)	2	3
21	लघु क्षेत्र में चल रहे औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	72	97
22	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	239	322
23	जम्मू एवं कश्मीर से भिन्न औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	151	203
24	पिछले जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती(धारा 80झख)	67	90
25	मल्टीप्लेक्स थिएटर और कन्वेंशन सेंटर से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	3	4
26	वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	शून्य	शून्य
27	खनिज तेल के उत्पादन से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	3	4
28	आवास परियोजनाओं से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	681	916
29	कोल्ड चैन फेसिलिटी के प्रचालन से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	1	1
30	खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के समेकित व्यवसाय से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	1	1
31	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण परिष्करण और पैकेजिंग से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	13	17

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए) (2006-07)	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए) (2007-08)
32	ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल से आहरित औद्योगिक उपकरणों के लाभों की कटौती (धारा-80अख)	1	1
33	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपकरणों के लाभों की कटौती (धारा-80अग)	78	105
34	सिक्किम में स्थापित उपकरणों के लाभों की कटौती (धारा-80अग)	1	1
35	उत्तरांचल में स्थापित उपकरणों के लाभों की कटौती (धारा-80अग)	65	87
36	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपकरणों के लाभों की कटौती (धारा-80अग)	225	303
37	जैविक अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यवसाय से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा-80अजक)	1	1
38	अपतटीय बैंकिंग यूनियनों (ओबीयू) और अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आयों के संबंध में कटौती (धारा 80ठक)	शून्य	शून्य
39	सहकारी समितियों के लाभों की कटौती (धारा 80त)	266	358
	जोड़	3013	4054

ग. व्यष्टि करदाता:

आयकर अधिनियम के अध्याय viक में मुख्यतः कतिपय भुगतानों पर कटौती; और कतिपय आय कर कटौती का प्रावधान है। व्यष्टि कर दाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनको व्यापक श्रेणी की कर वरीयता उपलब्ध है। तथापि, 50% व्यष्टि करदाता मुख्यतः वेतन से अपनी आय प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ से जुड़ी कटौतियों (अर्थात् कतिपय व्यवसाय आय के कारण कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ, गैर वेतन भोगी व्यष्टियों का समूह दोनो प्रकार की कटौतियों का दावा करता है।

अधिनियम के अध्याय viक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत राजस्व परित्याग का 31 दिसम्बर, 2007 तक आयकर विभाग में व्यष्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की गई 6,27,182 विवरणियों में कर तरजीहों के विभिन्न दावों के आधार पर अनुमान लगाया गया है, व्यष्टि करदाताओं के विभिन्न कर लाभों के कारण राजस्व परिव्यय को सारणी 7 में दिखाया गया है।

वर्ष 2006-07 के वित्त वर्ष के राजस्व परिव्यय आंकड़ों के आधार पर, चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2007-08 के दौरान राजस्व परित्याग का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान व्यष्टि कर दाताओं से वर्ष में संग्रहीत वास्तविक आयकर (65,593 करोड़ रुपए) के संबंध में वर्ष 2006-07 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर राजस्व परित्याग के अनुपात से परिकलित करके लगाया गया है और तत्पश्चात् इसी अनुपात को 2007-08 व्यष्टियों से अनुमानित कर आयकर संग्रहणों (87,858 करोड़ रुपए) पर लागू किया गया है।

अध्याय viक के अलावा, वित्त वर्ष 2006-07 में व्यष्टि करदाताओं से संबंधित अन्य मुख्य कर व्यय वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष या इससे आयु के व्यक्ति) और महिलाओं (वरिष्ठ नागरिकों से भिन्न) के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमाएं उच्च थी।

जैसाकि ऊपर कहा गया है, उच्च बुनियादी कर छूट सीमाओं के कारण राजस्व परित्याग की गणना प्रत्येक वरिष्ठ नागरीक और महिला के लिए राजस्व परित्याग को उनकी संख्या से गुणा करके की गई है। उनके द्वारा दायर नमूना विवरणियों का प्रतिशत उनकी संख्या का अनुमान करके लगाया गया है। इसके पश्चात्, वित्त वर्ष 2006-07 के लिए व्यष्टियों द्वारा दायर विवरणियों की कुल संख्या पर इस प्रतिशत को लागू किया गया है। 31 दिसम्बर, 2007 तक आयकर विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की गई कुल नमूना विवरणियां 6,27,182 हैं।

आयकर विभाग के क्षेत्र संस्थापनों से संग्रहीत आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2005-06 के लिए व्यष्टियों द्वारा दायर विवरणियों की कुल संख्या 2,42,14,698 थी। यह वित्त वर्ष 2004-05 में दायर विवरणियों से सिर्फ 0.15% अधिक थी। नाममात्र की इसी वृद्धि दर को लागू करके वित्त वर्ष 2006-07 के लिए विवरणियों की कुल संख्या की गणना 2,42,87,841 के रूप में की।

नमूना विवरणियों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कुल विवरणियों का 6 प्रतिशत महिलाओं द्वारा शेष की 25% विवरणियां दायर की गईं। इस प्रकार 1,85,000 रुपए की उच्च छूट सीमा का लाभ उठाने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 14,57,270 है। इसी तरह, 1,35,000 रुपए की उच्च छूट सीमा का लाभ उठाने वाली महिलाओं (जो वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं) की संख्या 57,07,643 है। प्रति वरिष्ठ नागरिक राजस्व परित्याग 12,240 रुपए हैं क्योंकि 1,85,000 रुपए की आय कर की देयता (शिक्षा उपकर समेत) 12,240 रुपए हैं। इसी प्रकार, प्रति महिला (जो वरिष्ठ नागरिक नहीं है) राजस्व परित्याग 3,570 रुपए है क्योंकि 1,35,000 रुपये की आय पर यही देयता बनती है।

वित्त वर्ष 2006-07 के लिए वरिष्ठ नागरिकों द्वारा महिलाओं द्वारा दायर विवरणियों की तुलना में वित्त वर्ष 2007-08 के लिए उनके द्वारा विवरणियों की संख्या में 5 प्रतिशत की वृद्धि मानकर 2007-08 के लिए अनुमान तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, उच्च बुनियादी छूट सीमाओं (क्रमशः 19,5000

रुपए और 1,45,000 रुपए) तथा एक प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर संबंधी अतिरिक्त लेवी को ध्यान में रखकर प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक और महिला (जो वरिष्ठ नागरिक नहीं है) के कारण राजस्व परित्याग की गणना की गई है। परिणामी आंकड़े क्रमशः 13,390 करोड़ रुपये और 3,605 करोड़ रुपए हैं। इसके पश्चात ऐसे प्रत्येक करदाता के कारण राजस्व परित्याग को उनकी संख्या से गुणा किया गया है।

सारणी 7 वित्त वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान राजस्व परित्याग को दृष्टि से व्यष्टि करदाताओं पर मुख्य कर व्यय को दर्शाती है।

सारणी-7 वित्तीय वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान व्यष्टि कर दाताओं पर मुख्य कर व्यय

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपये) (2006-07)	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपये) (2007-08)
1	कतिपय निवेशों और देयताओं भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80 ग)	22134	29647
2	कतिपय पेंशन निधियों के योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	178	238
3	नए पेंशन स्कीम के योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	18	24
4	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (धारा 80घ)	496	664
5	अश्रित विकलांग के चिकित्सा उपचार के लिए व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघ)	127	170
6	विशेषीकृत बीमारियों के चिकित्सीय इलाज हेतु व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघख)	21	28
7	उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ड)	38	51
8	धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थानों के दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	326	437
9	हाउसिंग एकोमोडेशन हेतु चुकाए गये किराये के कारण कटौती (धारा 80छछ)	59	79
10	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास हेतु दान के कारण कटौती (धारा 80छछक)	4	5
11	राजनीतिक दलों को दिए गए योगदान के कारण कटौती (धारा 80 छछख)	2	3
12	अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रम, सेज और औद्योगिक पार्कों, विद्युत उत्पादन और दूरसंचार सेवाओं के प्रदान करने से हुए लाभों की कटौती (धारा 80-1झ)	43	58
13	सेज अधिनियम 2005 के अनुसरण में सेज के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 18-झक)	2	3
14	हाउसिंग परियोजनाओं से उत्पन्न औद्योगिक उपक्रम खनिज तेल का उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास, खाद्यान्नों और जम्मू -कश्मीर और अन्य पिछड़ा क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के संचालन भण्डारण और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	1167	1563
15	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	612	820
16	जैव-अपचयन अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण उद्योग से हुए लाभों की कटौती (धारा 80झजक)	2	3
17	भारतीय भाषाओं में लिखित पाठ्य-पुस्तकों के लेखकों की व्यावसायिक आय की कटौती (धारा 80थथक)	शून्य	शून्य
18	पाठ्य पुस्तकों के अलावा कतिपय पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (धारा 80थथख)	10	13
19	पेंटेड पर रॉयल्टी आय की उच्च कटौती (धारा 80ददख)	शून्य	शून्य
20	विकलांगों के मामले में कटौती (धारा 80प)	69	92
21	वरिष्ठ नागरिकों हेतु उच्च छूट सीमा	1784	2049
22	महिलाओं हेतु उच्च छूट सीमा	2038	2160
	जोड़	29130	38107

सारणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न बचत लिखतों में निवेश के कारण कर व्यय; आवास ऋण की पुनःअदायगी एवं बच्चों के लिए शिक्षण ऋण शुल्क की अदायगी (आयकर अधिनियम की धारा 80ग) एक व्यष्टि करदाता के मामले में सबसे बड़ा कर व्यय है। जहां तक लाभ आधारित कटौतियों का संबंध है, सबसे बड़ा कर व्यय आयकर अधिनियम की धारा 80-झख के कारण होता है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों तथा महिलाओं के सम्बन्ध में उच्च आधारीक-छूट सीमाएं भी महत्वपूर्ण हैं।

अप्रत्यक्ष कर

(क) उत्पाद शुल्क

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची एक एवं दो विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया जाता है। कुछ अन्य शुल्क जैसे कि, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा शुल्क एवं शिक्षा उप कर भी हैं जिन्हें उत्पाद शुल्क के रूप में भी लिया जाता है। कई मामलों में, विभिन्न वित्त अधिनियम उन दरों की भी विनिर्दिष्ट करते हैं जिन पर इन शुल्कों का उद्ग्रहण किया जाएगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क(1) के अन्तर्गत सरकार को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ताकि वह किन्हीं व्यय को उत्पाद शुल्क से या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट प्रदान कर सके। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केन्द्र सरकार अनुसूचियों में विहित दरों से कम दर पर शुल्क दरें निहित कर सकता है। अधिसूचनाओं द्वारा विहित इन दरों को "प्रभावी" दर के रूप में जाना जाता है।

तदनुसार, परिव्यक्त राजस्व अधिसूचना के जारी होने के पूर्व संदेय शुल्क एवं संगत अधिसूचना के संदर्भ में वास्तविक देय शुल्क के मध्य अन्तर को कहते हैं। इसलिए :

$$\text{परिव्यक्त राजस्व} = \text{मूल्य} \times (\text{शुल्क की टैरिफ दर} - \text{शुल्क की प्रभावी दर})$$

ऐसा माल जिस पर विशिष्ट शुल्क की दरें लागू हैं, पर परिव्यक्त राजस्व के आंकड़ों को मात्रा के स्थान पर रख कर निकाला जाता है। इस तरह से परिव्यक्त शुल्क शून्य होगा यदि टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर है।

वर्ष 2006-07 के बजट में वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2005-06 के लिए परिव्यक्त राजस्व के आकलन की शुरुआत की गई थी। ये आकलन शुल्क अदा करने वाली इकाइयों द्वारा दायर की गई आवधिक विवरणियों से प्राप्त स्वीकृतियों के मूल्य से संबंधित सूचनाओं एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 23 विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई प्रविष्टियों के आधार पर आंकड़ें एकत्र करने वाली प्रणाली के आधार पर एसईआरएमओएन डेटाबेस से किए गए थे। तथापि, कुछ सीमाओं के कारण आंकड़े व्यापक नहीं थे। पहला, ऐसी इकाइयों जिनमें केवल छूट प्राप्त माल शामिल हैं, पंजीकृत नहीं है एवं इनके द्वारा विभाग में कोई विवरणियां दाखिल किया जाना अपेक्षित नहीं है। ऐसी इकाइयों द्वारा स्वीकृतियों के संबंध में ऐसे कोई आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे। दूसरा व्यापक कम्प्यूटरीकरण की अनुपस्थिति में परिव्यक्त राजस्व को निश्चित रूप से सही-सही आकलित करना कठिन था।

वर्ष 2007-08 के बजट में, एसईआरएमओएन सॉफ्टवेयर के द्वारा परिष्कृत आंकड़ा वैधीकरण के परिणामस्वरूप वर्ष 2006-07 के लिए परिव्यक्त राजस्व को पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा सही अनुमान लगाया गया था। अप्रैल-सितम्बर के लिए वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आंकलन किए गए थे, जब एसईआरएमओएन सॉफ्टवेयर ने राजस्व संग्रहण के 81 प्रतिशत आंकड़े एकत्र किए थे। पूरे वर्ष के लिए आंकलन ऐसा मानते हुए निकाले गए थे कि शेष 19 प्रतिशत के लिए भी यही प्रवृत्ति पूरे वर्ष जारी रहेगी। वर्ष 2006-07 के लिए संशोधित परिव्यक्त शुल्क, तथापि आंकलनों से भिन्न हैं। ऐसा दो कारकों पर आधारित है। पहला, एसईआरएमओएन आंकड़ों की वर्ष भर के लिए पूर्णता 93 प्रतिशत तक हो गई है। दूसरा, चूंकि परिव्यक्त राजस्व टैरिफ दर एवं प्रभावी दर के मध्य अन्तर होता है, परिव्यक्त राजस्व आंकलन वास्तविक आंकड़ों से टेलीविजन सेट्स के लिए उच्च परिव्यक्त राजस्व आंकड़ों के कारण अधिक थे (जिसे वार्षिक आधार पर 31252 करोड़ रुपए पर आकलित किया गया था)। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस समय प्रत्येक टीवी सेट के लिए टैरिफ दर 34,000 रुपए अथवा 16 प्रतिशत थी, जो कि अधिक है, जबकि प्रभावी दर 16 प्रतिशत थी। वर्ष 2007-08 के बजट में, टेलीविजन के लिए टैरिफ दर 16 प्रतिशत कम कर दी गई है जिसके परिणामस्वरूप, टेलीविजन सेटों पर परिव्यक्त राजस्व शून्य है।

वर्ष 2007-08 के औसत परिव्यक्त राजस्व के अनुमान के सम्बन्ध में एसईआरएमओएन डाटा पर ही आधारित हैं। वर्ष के प्रथम छः महीनों के लिए, एसईआरएमओएन ने राजस्व संग्रहण के लगभग 84 प्रतिशत हिस्से को एकत्र किया। संपूर्ण वर्ष के लिए अनुमानों की इस आधार पर आंका गया है। कवरेज का यही पैटर्न शेष 16 प्रतिशत और पूरे वर्ष के लिए भी लागू रहता है। एसईआरएमओएन द्वारा एकत्र परिव्यक्त राजस्व आंकड़ों में क्षेत्र आधारित योजनाओं के अन्तर्गत परिव्यक्त राजस्व शामिल है। इस हेतु आंकड़ों को पृथक रूप से प्राप्त किया गया है एवं निम्नलिखित सारणी 8 में दिए गए हैं:

सारणी 8 : उत्पाद शुल्क प्रशासन के अन्तर्गत कर व्यय

क्रम सं.	छूट का विवरण	परिव्यक्त राजस्व		
		2006-07 अनुमान	संशोधित (अंतिम)	2007-08 अनुमान*
1.	पूर्वोत्तर राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, एवं गुजरात के कच्छ जिले में क्षेत्र आधारित छूट लागू है	7000	7000	8550
2.	अन्य	92690	68475	79442
	कुल	99690	75475	87992

* वर्ष 2007-08 के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित (अप्रैल-सितम्बर 2007)

प्रस्तुत परिव्यक्त राजस्व के अनुमानों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क(2) के अन्तर्गत जारी तदर्थ छूट आदेशों के कारण परिव्यक्त राजस्व शामिल नहीं है, जिसका संबंध आपवादिक स्वरूप की परिस्थितियों से है।

(ख) सीमा शुल्क

सीमाशुल्क टैरिफ, 1975 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीमाशुल्क का उद्ग्रहण किया जाता है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के उद्ग्रहण को भी विनिर्दिष्ट करता है। (सामान्यतः इसे प्रतिकारी शुल्क अथवा सीवी शुल्क कहा जाता है), जो कि ऐसी वस्तुओं पर

उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के बराबर की दर पर उद्ग्रहीत किया गया हो, यदि ऐसे माल भारत में ही विनिर्मित हों। जैसा कि पहले विनिर्दिष्ट है, उत्पाद शुल्क से संबंधित शुल्क या तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 अथवा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अधिरोपित किए जाते हैं, जो यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि किस दर पर शुल्क अधिरोपित किया जाएगा। इसी प्रकार घरेलू वस्तुओं पर अधिरोपित राज्य मूल्यवर्धित कर की प्रतिपूर्ति के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की दर पर एक विशिष्ट प्रतिकारी शुल्क भी अधिरोपित किया जाता है। विभिन्न अधिनियमों में विनिर्दिष्ट दरें टैरिफ दरों के रूप में जानी जाती हैं। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को शक्तियां प्रायोजित की गई हैं ताकि वह लोक हित में किसी भी माल को सीमा शुल्क के प्रभार से मुक्त कर सके। इस तरह से ये अधिसूचनाएं अनुसूची की विहित दरों से निम्न दरें विहित करती हैं। अधिसूचनाओं द्वारा विहित ये दरें "प्रभावी" दरों के रूप में जानी जाती हैं। सीमा शुल्क के संबंध तदनुसार परित्यक्त राजस्व को इस तरह से अधिसूचना के जारी न होने की स्थिति में संदेय शुल्क एवं संगत अधिसूचना के संबंध में वास्तविक देय शुल्क के बीच के अन्तर को कहा जाता है। संक्षेप में:

परित्यक्त राजस्व मूल्य x(शुल्क की टैरिफ दर - शुल्क की प्रभावी दर)

इस तरह से यदि टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर है तो परित्यक्त शुल्क शून्य होगा।

विभिन्न छूट अधिसूचनाओं को जारी करने के कारण वर्ष 2006-07 के लिए परित्यक्त राजस्व का अनुमान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस) के प्रविष्टि जिलों द्वारा सृजित आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। ईडीआई आंकड़े, तथापि पूर्ण नहीं हैं, क्योंकि कतिपय पालन ईडीआई के बाहर हैं। इसके अलावा ईडीआई आंकड़े बिल प्रविष्टि द्वारा आयात के संबंध में प्रविष्टि बिल के आंकड़ें नहीं रखते हैं एवं जहां ईडीआई स्थलों में प्रविष्टि के मैनुअल बिल दायर किए जाते हैं।

परित्यक्त राजस्व आंकड़ें, प्राथमिक सीमा शुल्क, प्रतितुलन शुल्क से एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत जारी छूट की अधिसूचनाओं, जो कि प्रतितुलन शुल्क के उद्ग्रहण से संबंधित हैं, को समाहित करते हैं। यह 4% प्रतिशत के विशेष प्रतितुलन शुल्क से छूट को भी शामिल करता है।

वर्ष 2006-07 के लिए ईडीआई द्वारा संग्रहीत सकल सीमाशुल्क राजस्व 88570 करोड़ रुपए के वास्तविक सकल राजस्व संग्रहण की तुलना में 73,770 करोड़ रुपए है। इस तरह से ईडीआई आंकड़े वर्ष 2006-07 के लिए वास्तविक सूचित राजस्व संग्रहण का 83 प्रतिशत हिस्सा प्रस्तुत करता है। इसलिए परित्यक्त राजस्व अनुमान काफी बड़े नमूनों पर आधारित है।

वर्ष 2006-07 के लिए अनुमानित परित्यक्त राजस्व की गणना के लिए यथा-अपेक्षित उपयुक्त समायोजन के साथ ईडीआई डाटा को विस्तृत किया गया है। यह देखा गया है कि खाद्य तेल, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम अपरिष्कृत तथा कुछ अन्य उत्पादों के लिए ईडीआई डाटा कवरेज विशेष रूप से निम्न है। इन मदों से प्राप्त वास्तविक राजस्व संबंधी आंकड़ों का संग्रह पृथक् रूप से किया गया था। जब इन दो वस्तुओं से प्राप्त वास्तविक राजस्व को ईडीआई डाटा में जोड़ा जाता है, तो वास्तविक कवरेज बढ़कर 83280 करोड़ रुपए अथवा कुल राजस्व का 94% हो गया। इसमें वास्तविक राजस्व से लगभग 6% की कमी अभी भी रह जाती है। किसी अन्य डाटा के अभाव में यह माना गया है कि शेष राजस्व देने वाले आयातित वस्तुओं का संघटन अपरिवर्तनीय रहा तथा यह ईडीआई डाटा के अनुरूप था। डाटा आधार में उपयुक्त वृद्धि के पश्चात सभी छूट अधिसूचना से 2006-07 में परित्यक्त शुल्क का अनुमान 1,37,105 करोड़ रुपए लगाया गया है।

2007-08 के लिए राजस्व डाटा के लिए इसी तरह की प्रविधि अपनाई गई है जो अब तक अप्रैल-सितम्बर 2007 की अवधि के लिए उपलब्ध है। पूर्ण कवरेज प्राप्त करने के लिए सभी वृद्धि के अलावा, 2007-08 के लिए अनुमानित राजस्व आँकड़ा निकालने के लिए इस डाटा का विश्लेषण वार्षिक आधार पर किया गया है इस आधार पर 2007-08 के लिए अनुमानित राजस्व परित्याग 1,48,252 करोड़ रुपए बनता है जो पिछले वर्ष से तकरीबन 8% अधिक है।

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रत्येक अध्याय के लिए परित्यक्त राजस्व आंकड़ा सारणी 9 में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

सारणी 9: सीमाशुल्क क्षेत्र के अधीन मुख्य कर व्यय के अनुमान

(करोड़ रुपए में)

अध्याय	वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण	2006-07 (अनन्तिम)	2007-08 (अनुमानित)
1	जीवित पशु	1	1
2	मांस एवं खाद्य मांस का कूड़-कर्कट	0	1
3	मछली तथा क्रस्टेशियन, अन्य जलचर अकशेरुकी	5	19
4	डेरी उत्पाद	15	23
5	पशु मूल के अन्य उत्पाद	17	26
6	जीवित वृक्ष तथा अन्य पौधे	3	3
7	खाद्य सब्जियां, कतिपय कंद मूल	2041	2781
8	खाद्य फल तथा गिरीदार फल	1013	970
9	काफी, चाय, मेट तथा मसाले	303	445
10	अनाज	1295	255

अध्याय	वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण	2006-07 (अनन्तिम)	2007-08 (अनुमानित)
11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद	13	8
12	तिलहन, खाद्यान्न, बीज, फल	92	96
13	लाख, गोंद तथा राल	88	150
14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री	1	1
15	पशु अथवा वनस्पति वसा	4155	7901
16	मांस अथवा मछली से निर्मित उत्पाद	0	6
17	चीनी	33	67
18	कोको	19	10
19	अनाज से निर्मित उत्पाद	40	26
20	वनस्पति से निर्मित उत्पाद	12	16
21	विविध खाद्य उत्पाद	106	133
22	पेय तथा स्पिरिट	154	55
23	खाद्य उद्योग के अवशिष्ट तथा कूड़ा	64	112
24	तम्बाकू	4	4
25	नमक, गंधक तथा शिला	243	301
26	अयस्क	1557	1466
27	खनिज ईंधन तथा खनिज तेल	24895	22007
28	अकार्बनिक रसायन	2173	2241
29	कार्बनिक रसायन	5268	6278
30	भेषज उत्पाद	1467	1452
31	उर्वरक	3399	4830
32	चमड़ा तथा रंगाई अर्क, रंजक	265	293
33	आवश्यक तेल	123	131
34	साबुन तथा धुलाई सामग्री	82	82
35	एलबुमिनोडल पदार्थ	54	58
36	विस्फोटक सामग्री, माचिस	17	8
37	फोटोग्राफी सामग्री	73	35
38	विविध रसायन उत्पाद	1087	1121
39	प्लास्टिक	1773	2094
40	खबड़	657	871
41	खाल और त्वचा तथा चमड़ा	268	279
42	चमड़े का सामान	17	19
43	समूर	8	6
44	लकड़ी	915	1128
45	कार्क	1	0
46	घास फूस की वस्तुएं	0	0

अध्याय	वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण	2006-07 (अनन्तिम)	2007-08 (अनुमानित)
47	काष्ठ की लुगदी	268	301
48	कागज	895	888
49	मुद्रित पुस्तकें, अखबार	487	463
50	रेशम	258	331
51	ऊन	284	364
52	कपास	3057	3320
53	अन्य वनस्पति रेशे	63	39
54	मानव निर्मित फिलामेंट	2734	2977
55	मानव निर्मित स्टेपल रेशा	483	392
56	वेडिंग एवं बुनाई रहित	38	28
57	गलीचे	20	17
58	विशेष बुनी फेब्रिक्स	2047	475
59	परत चढ़े हुए टेक्सटाइल फेब्रिक्स	289	376
60	बुने हुए फेब्रिक्स	130	156
61	बुने हुए तैयार पहनावे	10	11
62	बुने हुए पहनावे	20	30
63	तैयार सामग्री	44	39
64	जूते	114	154
65	सिर के उपसाधन	1	1
66	छाते	6	10
67	पंख/कृत्रिम पुष्प	2	2
68	पत्थर, प्लास्टर की वस्तुएं	72	70
69	मृत्तिका के उत्पाद	188	176
70	शीशा और शीशे की वस्तुएं	161	155
71	कीमती रत्न, आभूषण	25672	35182
72	लोहा तथा इस्पात	7650	6145
73	लोहे और इस्पात की वस्तुएं	2855	2424
74	तांबा और उसकी वस्तुएं	564	465
75	निकेल और उसकी वस्तुएं	422	318
76	एल्यूमिनियम और उसकी वस्तुएं	1000	842
78	सीसा और उसकी वस्तुएं	139	41
79	जस्ता और उसकी वस्तुएं	545	220
80	टिन और उसकी वस्तुएं	49	38
81	अन्य मूल धातुएं	104	67
82	औजार और उपसाधन	250	248
83	मूल धातुओं की विविध वस्तुएं	95	107

क्रम सं.	योजना का नाम	2006-07 (अंतिम)	2007-08 (अनुमानित)
84	मशीनरी	15081	13630
85	वैद्युत मशीनरी	9113	9622
86	रेलवे अथवा ट्रामवेज लोकोमोटिव रोलिंग स्टॉक आदि	120	83
87	मोटर वाहन	1830	2644
88	वायुयान	698	2097
89	जहाज, नाव और तैरने वाले ढांचे	965	1173
90	दृश्य/फोटोग्राफिक औजार	2642	2719
91	घड़ी और हाथ घड़ी	12	17
92	संगीत वाद्य	2	1
93	हथियार एवं आयुध	222	109
94	फर्नीचर	198	223
95	खिलौने एवं खेल वस्तुएं	93	100
96	विविध निर्मित वस्तुएं	168	171
97	कलाकृतियां, प्राचीन वस्तुएं	5	102
98	परियोजना आयात, साज सामान	1127	876
	जोड़	137105	148252

उपर्युक्त आंकड़ों में खामियों को छोड़कर विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं की वजह से परित्यक्त राजस्व शामिल है। विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए विभाजन अलग से नीचे दिया गया है। इनमें से केवल डीएफसीई, टारगेट प्लस, वीकेजीयूवाई और भारत से दी जाने वाली सेवाएं प्रोत्साहन योजनाएं हैं। शेष या तो निवेश कर निष्क्रिय या छूट की योजनाएं हैं। इसमें मोटे तौर पर निवेश कर ऋण मौजूद है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारे निर्यातकों के लिए एक समान कारोबारी क्षेत्र प्रदान करने के लिए अनुमत किया जाना है। इस अर्थ में सीमा शुल्कों से परित्यक्त राजस्व को कम करके बाद वाली श्रेणी में आने वाली विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए परित्यक्त राजस्व तक लाया जाना चाहिए। तदनुसार नीचे की सारणी की क्रम संख्या 14 में दर्शायी गई राशि को सीमा शुल्क की वजह से सकल परित्यक्त राजस्व से घटा दिया जाएगा।

सारणी: 10 निर्यात संवर्धन रियायतों के कारण परित्यक्त राजस्व

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	योजना का नाम	2006-07 (अंतिम)	2007-08 (अनुमानित)
1	अग्रिम लाइसेंस योजना	17928	16604
2	ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी	14386	23806
3	ईपीसीजी	9152	8592
4	डीईपीबी योजना	4842	4643
5	एसईजेड	2194	2962
6	डीएफआरसी	845	595
7	शुल्कमुक्त आयात प्राधिकार योजना	699	1214
8	डीएफसीई योजना	1416	561
9	लक्ष्य सह योजना	2619	1087
10	विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना	548	403
11	सर्ब फ्राम इंडिया स्कीम	444	579

क्रम सं.	योजना का नाम	2006-07 (अनंतिम)	2007-08 (अनुमानित)
12	जोड़	55072	61046
13	घटाइए-क्रं.सं. 8 से 11 में उल्लिखित प्रोत्साहन योजनाओं के कारण परित्यक्त राजस्व	5027	2630
14	सीमा-शुल्क के कारण सकल परित्यक्त राजस्व से निविष्टि कर निष्प्रभावन अथवा छूट योजना की वजह से परित्यक्त राजस्व	50045	58416

उपर्युक्त में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) के तहत जारी छूट संबंधी अधिसूचनाओं के कारण परित्यक्त राजस्व को शामिल नहीं किया गया है।

वर्ष 2006-07 और 2007-08 के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संबंधी परित्यक्त राजस्व के आंकड़े सारणी 11 में दिए गए हैं।

सारणी 11: वित्तीय वर्ष 2006-07 और 2007-08 में परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए)

	वर्ष 2006-07 में परित्यक्त राजस्व	वर्ष 2006-07 में सकल कर संग्रहण के प्रतिशत के रूप में परित्यक्त राजस्व	वर्ष 2007-08 में परित्यक्त राजस्व	वर्ष 2007-08 सकल कर संग्रहण के प्रतिशत के रूप में परित्यक्त राजस्व
कॉर्पोरेट आयकर	45034	9.56	58655	10.09
व्यक्तिगत आयकर	32143	6.82	42161	7.25
उत्पाद शुल्क	75475	16.02	87992	15.14
सीमा शुल्क	137105	29.11	148252	22.51
जोड़	289757	61.51	337060	58.00
घटाइए-निर्यात क्रेडिट से संबद्ध	50045	10.62	58416	10.05
कुल जोड़	239712	50.89	278644	47.94

टिप्पणी: (1) सकल कर संग्रहण का अर्थ है केन्द्र सरकार द्वारा संग्रहित निवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का योग
(2) सकल कर संग्रहण के 2006-07 के आंकड़े वास्तविक आंकड़ों पर आधारित हैं जबकि 2007-08 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।

निष्कर्ष: परित्यक्त राजस्व की राशि वर्ष-दर वर्ष बढ़ती जा रही है, सकल कर संग्रह के प्रतिशत के रूप में परित्यक्त राजस्व अधिक बना रहेगा, भले ही इसमें हो रही गिरावट की परित्यक्त ध्यान देने योग्य है। यह प्रवृत्ति पिछले चार वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए सुधारों की सफलता को इंगित करते हैं। संयत कर दर और आधार विस्तार ऐसे कर सुधारों के दो आवश्यक तत्व हैं।

उद्योग में सैम्पल कम्पनियों का अधिभार और शिक्षा उपकर सहित प्रभावी कर दर
(वित्त वर्ष 2006-07) (सैम्पल आकार-328061)

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपये)	कुल भुगतान योग्य कर (करोड़ रुपये)	प्रभावी कर दर (% में)
1	विनिर्माण	कृषि आधारित उद्योग	10691	9562.6	2147.8	2.46
2	विनिर्माण	ऑटोमोबाइल्स और ऑटो पार्ट्स	3521	20412	5313.8	26.03
3	विनिर्माण	सीमेंट	539	6149.2	1055.5	17.16
4	विनिर्माण	हीरा कटिंग	361	698.3	122.1	17.48
5	विनिर्माण	दवाइयां और भेषज	4180	14040.5	1952.4	13.91
6	विनिर्माण	इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर हार्डवेयर सहित	2376	4433.7	755.7	17.04
7	विनिर्माण	अभियांत्रिकी सामान	7916	13052.1	3330.7	25.52
8	विनिर्माण	खाद, रसायन और पेंट्स	3423	9349.5	2072.7	22.17
9	विनिर्माण	आटा और चावल मिलें	1082	205.2	52	25.32
10	विनिर्माण	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां	1968	2007.8	465.6	23.19
11	विनिर्माण	मार्बल और ग्रेनाइट	1561	400.2	71.5	17.87
12	विनिर्माण	कागज	1250	1859.9	347.6	18.69
13	विनिर्माण	पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन	573	26931.8	5184.8	19.25
14	विनिर्माण	विद्युत और ऊर्जा	1709	52719.7	11090.9	21.04
15	विनिर्माण	छपाई और प्रकाशन	2054	2945.1	824.7	28.00
16	विनिर्माण	रबड़	894	492.5	107.7	21.88
17	विनिर्माण	स्टील	3855	18988.5	4414.1	23.25
18	विनिर्माण	चीनी	214	1033.7	128	12.38
19	विनिर्माण	चाय और कॉफी	834	811.6	97.9	12.06
20	विनिर्माण	वस्त्र, हथकरघा और बिजली करघा	8522	6451.2	956.7	14.83
21	विनिर्माण	तम्बाकू	303	4362.3	1334.6	30.59
22	विनिर्माण	टायर	147	1107.3	124.3	11.22
23	विनिर्माण	वनस्पति एवं खाद्य तेल	617	628.8	89.6	14.25
24	विनिर्माण	अन्य	40690	97645.1	22866.3	23.42
25	व्यापार	चेन स्टोर	679	159.8	39.8	24.87
26	व्यापार	खुदरा विक्रेता	7598	1617.7	382.1	23.62
27	व्यापार	थोक विक्रेता	13362	2789.6	704.1	25.24
28	व्यापार	अन्य	46117	13729.7	3026	22.04
29	कमीशन एजेन्ट	जनरल कमीशन एजेन्ट्स	3213	768.6	226.9	29.52
30	बिल्डर्स	बिल्डर्स	8710	2949.3	615.3	20.86
31	बिल्डर्स	एस्टेट एजेन्ट्स	1907	253.3	62.7	24.77
32	बिल्डर्स	सम्पत्ति डेवलपर्स	13577	11382.6	2385.1	20.95
33	बिल्डर्स	अन्य	8982	1646.7	339.4	20.61
34	ठेकेदार	सिविल ठेकेदार	5118	5087.7	1321.6	25.98
35	ठेकेदार	उत्पाद शुल्क ठेकेदार	17	13.7	3.6	26.38

36	ठेकेदार	वन ठेकेदार	9	0.1	0.04	39.33
37	ठेकेदार	खान ठेकेदार	332	747.1	177	23.69
38	ठेकेदार	अन्य	5020	3352	757.4	22.60
39	पेशेवर	चाटर्ड एकाउटेन्ड, ऑडिटर इत्यादि	71	8.3	1.7	20.33
40	पेशेवर	फैशन डिजाइनर	49	7.2	2.2	30.07
41	व्यावसायिक	वैध व्यावसायिक	176	28.4	4.7	16.42
42	व्यावसायिक	चिकित्सीय व्यावसायिक	782	85.7	24	28.05
43	व्यावसायिक	नर्सिंग होम्स	787	91.3	24.3	27.28
44	व्यावसायिक	विशेषज्ञता प्राप्त अस्पताल	576	215.8	47.4	21.97
45	व्यावसायिक	अन्य	2864	465.5	127.9	27.47
46	सेवा	विज्ञापन एजेंसी	1709	711.1	225.8	31.75
47	सेवा	ब्यूटी पार्लर	134	30.1	7.9	26.24
48	सेवा	परामर्श सेवा	8118	6933.5	1152.2	16.62
49	सेवा	कॉरीयर एजेंसी	402	201.5	75.8	37.64
50	सेवा	कम्प्यूटर प्रशिक्षण, शिक्षा और कोचिंग संस्थान	1804	361.9	88.1	24.33
51	सेवा	फॉरेक्स वितरक	420	34.5	8.6	24.83
52	सेवा	आतिथ्य सेवा	1841	2017.7	479.6	23.77
53	सेवा	होटल	4462	3376.1	834.7	24.72
54	सेवा	आईटी आधारित सेवा, बीपीओ सर्विस प्रदाता	5525	18391.3	1352.9	7.36
55	सेवा	सुरक्षा संबंधी एजेंसी	787	111.2	42	37.80
56	सेवा	सॉफ्टवेयर विकास एजेंसी	7511	16006.2	1021.1	6.38
57	सेवा	वाहक	2772	2371.1	457.8	19.31
58	सेवा	ट्रेवल्स एजेंट और टूर ऑपरेटर	2565	509.2	135	26.52
59	सेवा	अन्य	33291	56632	9362.6	16.53
60	वित्तीय सेवा	बैंकिंग कम्पनी	303	41510.9	11201.3	26.98
61	वित्तीय सेवा	चिट फण्ड	2092	197.9	62.9	31.78
62	वित्तीय सेवा	वित्तीय संस्थान	249	4989.1	1024.5	20.53
63	वित्तीय सेवा	वित्तीय सेवा प्रदाता	2410	2912.6	677	23.24
64	वित्तीय सेवा	लीजिंग कम्पनी	719	891	130.8	14.68
65	वित्तीय सेवा	धन प्रदाता	404	60.1	11.3	18.84
66	वित्तीय सेवा	गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ	7900	16492.5	2978.1	18.06
67	वित्तीय सेवा	शेयर दलाल, उप-दलाल इत्यादि	3355	4329.5	1048.2	24.21
68	वित्तीय सेवा	अन्य	15548	30761.7	5394	17.53
69	मनोरंजन संबंधी उद्योग	केबल टी.वी. प्रस्तुति	183	287.1	76.8	26.75
70	मनोरंजन संबंधी उद्योग	फिल्म वितरण	246	165.2	31.1	18.84
71	मनोरंजन संबंधी उद्योग	फिल्म प्रयोगशाला	35	17.1	4.2	24.49
72	मनोरंजन संबंधी उद्योग	चलचित्र निर्माता	277	324.7	91	28.02
73	मनोरंजन संबंधी उद्योग	टेलीविजन चैनल	167	788.9	286.9	36.37
74	मनोरंजन संबंधी उद्योग	अन्य	3606	3085.8	872.8	23.71
	जोड़		328061	556190	114316	20.60